

(45)

(25)

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

क्रमांक: पा. 11 कार्मिक/अस्पताल/99/2943

दिनांक: 30/12/99

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये कमला नगर हास्पिटल, लिंक पाल रोड, जोधपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय को पूर्व अमेक्षा में जारी किया जाता है ।

सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. मं., जयपुर
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि. स. एवं मु. ले. अ. /अति. मुख्य अभियंता...
3. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-जोधपुर/आवासन अभियंताखण्ड.....
4. लेखरधिकारी, वित्त/भुगतान, राज. आवासन मंडल, जयपुर
5. समस्त अधिकारी/समस्त प्रकोष्ठ। मु. ।...
6. डा. राम गोयल, कमला नगर हास्पिटल, लिंक पाल रोड, जोधपुर
7. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड

सचिव 30/12/99